

राजस्थान सरकार

जरिये पटवार हल्का कुराडा

बहक

श्री रामकरण

पुत्र श्री आंशु राम

जाति जाट नि कुराडा

राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

मुकदमा नं. 3 / 2019

निर्णय दिनांक 13/3/19

प्रकरण का संक्षिप्त में सार निम्नवत है कि ग्राम कुराडा खसरा नम्बर 330  
रकबा 0.10/50 हैक्टर किस्म जे. क. राहल (राजकीय भूमि) पर संवत् 2075 में श्री रामकरण  
पुत्र श्री आंशु राम द्वारा जाति जाट निवासी कुराडा जिसे  
आगे अप्रार्थी कहा गया है ) द्वारा बाड लगा कर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का  
अर्न्तगत अप्रार्थी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तावित की।

पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तावित रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को राज. भू.-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अर्न्तगत नोटिश जारी कर तलब किया गया। तलबी पर अप्रार्थी

का नोटिस आफिल अदालत में निवास करने वाले  
अफिल अदालत द्वारा अप्रार्थी के द्वारा किया गी  
पत्रावली के नवाव पत्रावली में किया अप्रार्थी के खिलाफ  
एडरफा कार्यवाही में अफिल अदालत  
पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम कुराडा  
ख.न. 330 रकबा 0.10/50 किस्म जे. क. राहल पर संवत् 2075 में बिना विधिक  
अधिकार के अनाधिकृत नाजायज रूप से राजकीय भूमि पर बाड लगा कर अतिक्रमण किये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः प्रकरण में आदेश दिये जाते हैं कि :-

(1) अतिक्रमी को आरजी राज से वेदखल किया जाकर कब्ज बहक सरकार लिया जावे।

(2) लगान दर रुपया 2500 का 50 गुणा रुपया 125000 (रुपये उत्तरीस रुपये) शारित कायम की जाती है।

कियान्विती हेतु पटवारी हल्का कुराडा निर्णय की  
पुर्व तहसील राजस्व लेखाकार को पालनार्थ आदेश जारी किये जाये।  
जावली भु. अभिलेख निरीक्षक

पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दपत्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13/3/19 का सरे इजलास सुनाया।

2019-20 के पृष्ठ नं. 72  
पत्रावली नं. 19 का पृष्ठ नं. 50 को  
बांध लाने की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार